बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग-1—कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

मंगलवार, तिथि 27 जुलाई, 1982।

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :—	
अल्पसूचित प्रश्नोत्तर संख्या—25, 27 (प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द), एवं 29।	1—10
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—2127 (प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द), 2632, 2633, 2634, 2635 एवं 2636।	11—21
परिशिष्ट—(प्रश्नों के लिखित उत्तर) :— ...	23—82
दैनिक निबंध ..	83—92

टिप्पणी :—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है।

वेतन का भुगतान ।

2741. श्री रामजी प्रसाद महतो—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि जिला समिति के निर्णयानुसार जिला शिक्षा अधीक्षक, नवादा के ज्ञापांक-3676-86, दिनांक 30 जुलाई, 1981 द्वारा श्री राम नन्दन प्रसाद सिंह, शिक्षक का स्थानान्तरण किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि श्री सिंह का योगदान प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पकड़ीबरावाँ, जिला नवादा के पत्रांक 318-19, दिनांक 14 सितम्बर, 1981 द्वारा प्राथमिक विद्यालय, धेवधा, पकड़ीवरावाँ, नवादा में किया गया;

(3) क्या यह बात सही है कि श्री सिंह तारीख 12 अगस्त, 1981 से ही उक्त विद्यालय में कार्य कर रहे हैं लेकिन उन्हें सितम्बर, 1981 से वेतन नहीं मिला है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार श्री सिंह को बकाये वेतन देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

श्री करमचन्द भगत—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 30 जुलाई, 1981 के आदेशानुसार प्राथमिक विद्यालय, धेवधा, पकड़ीवरावाँ, नवादा, शिक्षक के घर से आठ किलोमीटर की दूरी से कम रहने के कारण प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने जिला शिक्षा अधीक्षक से पत्राचार किया । इस पत्र पर विचार कर तथा माननीय राज्य शिक्षा मंत्रीजी के निर्देश पर जिला शिक्षा अधीक्षक, नवादा ने दिनांक 9 सितम्बर, 1981 के पत्र द्वारा श्री सिंह को उक्त विद्यालय में योगदान कराने के लिये प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पकड़ीबरावाँ को आदेश दिया, जिन्होंने दिनांक 14 सितम्बर, 1981 के पत्र से शिक्षक को उक्त विद्यालय में योगदान करने की अनुमति दी ।

विद्यालय में शिक्षक के योगदान करते ही स्थानीय जनता का आक्रोश उभड़ उठा तथा विद्यालय में स्थानीय जनता ने तालाबन्दी कर दी । स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए स्थानीय प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पकड़ीवरावाँ, विद्यालय उप-निरीक्षक, नवादा एवं अवर प्रमण्डल शिक्षा पदाधिकारी, नवादा ने संयुक्त जाँच की तथा शिक्षक को अन्यत्र पदस्थापित कर देना ही उचित समझा ।

संयुक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा के आदेशानुसार जिला शिक्षा अधीक्षक, नवादा ने दिनांक 19 अक्टूबर, 1981 के पत्रांक 5151-

67 से श्री सिंह का प्रतिनियोजन मध्य विद्यालय, कौआकोल में कर दिया तथा दिनांक 20 अक्टूबर, 1981 के ज्ञापांक 350-62 से प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पकड़ीवरावां ने उन्हें मध्य विद्यालय, कौआकोल में योगदान करने के लिये विरमित कर दिया।

(3) यह सही नहीं है कि शिक्षक दिनांक 12 अगस्त, 1981 में प्राथमिक विद्यालय, धेवधा में कार्यरत रहे है। उन्होंने मध्य विद्यालय, कौआकोल में योगदान नहीं किया है। अतः उनका वेतन भुगतान सितम्बर, 1981 से लम्बित है।

(4) जब तक शिक्षक आदेश का पालन कर मध्य विद्यालय, कौआकोल में योगदान नहीं करेंगे तब तक उनके वेतन भुगतान का औचित्य नहीं है, क्योंकि शिक्षक प्रतिनियोजित विद्यालय में काम नहीं कर रहे हैं।

जाँच प्रतिवेदन पर कार्रवाई।

2742. श्री श्याम नारायण पाण्डेय, एवं श्री रामजी प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मध्य विद्यालय, पन्दुरा, थाना—सन्देश, जिला—भोजपुर के वरीय सहायक शिक्षक श्री सच्चिदानन्द पाण्डेय को प्रबन्धकारिणी समिति ने बिना किसी आरोप एवं स्पष्टीकरण के दिनांक 18 अगस्त, 1969 को सेवा मुक्त कर दिया था;

(2) क्या यह बात सही है कि श्री पाण्डेय ने पदस्थापन हेतु आवेदन-पत्र शिक्षा निदेशालय में 18 फरवरी, 1974 को दिया था, जिस पर शिक्षा आयुक्त ने अपने पत्र संख्या 71-ब-3065 / 74-शि०-4556, दिनांक 6 सितम्बर, 1974 द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक, भोजपुर से जाँच प्रतिवेदन माँगा था;

(3) क्या यह बात सही है कि जिला शिक्षा अधीक्षक, भोजपुर ने श्री पाण्डेय के आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में अपने जाँच प्रतिवेदन पत्र संख्या-1156, दिनांक 22 दिसम्बर, 1975 द्वारा शिक्षा आयुक्त को भेज दिया था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, यदि हाँ, तो क्यों, तथा इस सम्बन्ध में सरकार कौन-सी कार्रवाई कब तक करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?